

U/L
25/6

आदेश पत्रक (देशी अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

पत्रक

ता.

से

सं.

सन् 200

प्रकार शीतल खारिज वाद सं.

329/16-17

पत्रक नं.
लिखित

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाई के
बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

2

3

22/8/16

श्री मधुसूदन राम शर्मा एवं श्री मधुसूदन (2) श्री सदाशिव पिता
श्री विमलेश्वर सा. चतरा
अंचल देवरी, जिला गिरिडीह द्वारा निर्मांकित व्योरे की
जमीन के दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।
आवेदित जमीन श्री मनाय प्रो. कर्माकर (2) श्री अविधेय शर्मा
पिता श्री एच. सुभाष मोदी सा. चतरा
अंचल देवरी के सजरिये केवाला नं. 2591
दिनांक 25/06/89 द्वारा क्रय किया गया है।
ग्राम धात्रा नं. खाता नं. प्लॉट नं. रकबा
कांती 509 77 372 4370

मान्य एडवोकेट
Dhar

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तिहार निर्गत करे।
हल्का राजस्व कर्मचारी आवेदन पत्र का स्थानीय जांच कर
जांच प्रतिवेदन अं. नि. के माध्यम से उपस्थापित करे।
अभिलेख दिनांक 16/8/16 को उपस्थापित करे।

लेखापति

अंचल अधिकारी
देवरी

अंचल अधिकारी
देवरी

16/8/16

अभिलेख तयस्वापित किया गया। आज इसका निवेदन किया गया। तामिल प्रतिवेदन प्राप्त है। किती न कोई अपील नहीं दिख है। ह. कर्म / अ. नि. का बीच प्रतिवेदन देखा। इसने प्रविष्टि किया है कि प्रत्यगत जमीन रिपती ग. छात्र / जयसत छात्र की है। जिसकी जपादारी पंजी 11 के फूट सं. 132/16 पर दर्ज है एवं विवेका के नाम रघुनाथ गोई से कायम है। जमीन भूदान भूदानमंत्री बन सीमा एवं सीमा से बहार है। जमीन पर क्रेता का शांतिपूर्ण दखल है। आवेदित भूमि के नामांतरण हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः ह. कर्म एवं अ. नि. के बीच प्रतिवेदन के आधार पर निर्मांकित विवरण की भूमि का नामांतरण क्रेता

श्री/श्रीमति रघुनाथ गोई पति/पति रघुनाथ गोई के नाम से रघुनाथ गोई किया गया है।
क्रम/धारक नं. 77 छात्र नं. 372 प्लॉट नं. 470 रकबा 10

मांटी/गोई 77 372 470 10
533-

संबंधित सहायक तदनुसार शांति पत्र निम्न अंतः

तैयारीपति

अंमल अधिकारी
देवरी

अंमल अधिकारी
देवरी

रुशि पत्र निवेदित किया गया। हस्ता कार्यकारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दे।

अंमल अधिकारी
देवरी